

प्रालय
घान
दमा नं.

न्यायालय
सुशील
338/2021

उपखण्ड अधिकारी
बनाम
सीकर
सुमन
दाल

नं 8
23

पत्र पेश की व्यक्ति आपका दफ्तर,
आदेश 07/21 EPE का खिलान किया
जाता है आदेश आका से किया जाकर
आदेश मिलान किया गया। आदेश 07/21/12
का आदेश खिलान होने के कारण शकिय
किया जाता है पत्र पेश भुगत होता
गया है आप को आदेश मर्यादा
पत्र की जाये। किसी आदेश में दस्तावेज
से पुके न्यायालय से पुकारा गया।


उपखण्ड अधिकारी- सीकर